संo—14 / विविध—05 / 2021

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

संकल्प

विषयः— राज्य सरकार के नियमित कर्मियों एवं उनके आश्रितों के चिकित्सा व्यय विपत्रों को प्रतिहस्ताक्षरित करने तथा उसकी प्रतिपूर्ति की स्वीकृति के प्रत्यायोजित शक्ति में संशोधन के संबंध में।

स्वास्थ्य विभागीय संकल्प संख्या—946(14), दिनांक—14.08.2015 में निहित प्रावधान के तहत् राज्य के नियमित कर्मियों एवं उनके आश्रितों की चिकित्सा पर हुए रू0 50,000/— (पचास हजार रुपया) की सीमा तक के व्यय की राशि की प्रतिपूर्ति की स्वीकृति की शक्ति संबंधित सिविल सर्जन के द्वारा विपत्रों की अनुमान्यता एवं शुद्धता के जाँचोपरान्त नियंत्री पदाधिकारी को प्रदत्त है। पुनः स्वास्थ्य विभागीय संकल्प संख्या 1462(14), दिनांक— 16.08.2021 द्वारा राज्य कर्मियों एवं उनके आश्रितों के चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्त्ति की स्वीकृति की प्रत्यायोजित शक्ति में संशोधन की गई परन्तु पूर्व में सिविल सर्जन के प्रत्यायोजित शक्ति को यथावत रखा गया है।

2. विभागीय संकल्प संख्या 1462(14), दिनांक— 16.08.2021 द्वारा चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति की राशि रू0 50,000/— (पचास हजार रुपया) तक की स्वीकृति के लिए पूर्व के प्रावधानों में निम्नरुपेण संशोधित किया जाता है :—

(i)	रू0 1,00,000/— (एक लाख) रुपया तक	संबंधित जिला के सिविल सर्जन द्वारा विपत्रों की अनुमान्यता एवं शुद्धता के जाँचोपरान्त नियंत्री पदाधिकारी द्वारा।
(ii)	रू0 1,00,001/— (एक लाख एक) रुपया से रू0 10 लाख (रू0 दस लाख) तक	संबंधित मेडिकल कॉलेज/अस्पतालों के अधीक्षकों की अध्यक्षता में गठित त्रि—सदस्यीय समिति की अनुशंसा पर प्रशासी विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव द्वारा।
(iii)	रू0 10,00,000/— लाख (दस लाख) से ऊपर	संबंधित मेडिकल कॉलेज/अस्पतालों के अधीक्षकों की अध्यक्षता में गठित त्रि—सदस्यीय समिति की अनुशंसा पर वित्त विभाग की सहमति से प्रशासी विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव द्वारा।

3. विभागीय परिपत्र संख्या—997(14), दिनांक—28.08.2015 द्वारा कुल 6 (छह) चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों को जिला/प्रमंडलवार चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्त्ति हेतु रू0 50,000/— (पचास हजार रुपया) से ऊपर के चिकित्सा विपत्रों की अनुमान्यता एवं शुद्धता की जाँच के लिए प्राधिकृत किया गया है। वर्त्तमान में बिहार सरकार के अन्तर्गत कुल 10 (दस) मेडिकल कॉलेज अस्पताल संचालित है। उक्त परिप्रेक्ष्य में पटना एवं अन्य जिलों से चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्त्ति हेतु प्राप्त दावों की संख्या में बढ़ोत्तरी के मद्देनजर

उत्पन्न कठिनाईयों एवं अनावश्यक विलंब को दृष्टिपथ में रखते हुए राज्य सरकार के नियमित कर्मियों एवं उनके आश्रितों के चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्त्ति के दावों के त्वरित निष्पादन हेतु रू0 1,00,000/– (एक लाख रुपया) से ऊपर के चिकित्सा व्यय विपत्रों की अनुमान्यता एवं शुद्धता की जाँच/प्रतिहस्ताक्षरित करने का दायित्वों को पूर्व निर्गत प्रावधान विभागीय परिपत्र संख्या–997(14), दिनांक–28.08.2015 में निम्नरुपेण संशोधन किया जाता है :–

क्र0 सं0	चिकित्सा संस्थान		आवंटित जिला/प्रमंडल
1.	अधीक्षक, पटना चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, पटना।	–	पटना प्रमंडल का सिर्फ पटना जिला।
2.	अधीक्षक, नालन्दा चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, पटना।	–	पटना प्रमंडल अंतर्गत भोजपुर, बक्सर, रोहतास एवं कैमूर जिला।
3.	अधीक्षक, भगवान महावीर आयुर्विज्ञान संस्थान अस्पताल, पावापुरी, नालन्दा।	–	पटना प्रमंडल अंतर्गत नालन्दा जिला एवं मगध प्रमंडल अन्तर्गत नवादा जिला।
4.	अधीक्षक, अनुग्रह नारायण मगध चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, गया।	–	मगध प्रमंडल अंतर्गत गया, जहानाबाद, अरवल एवं औरंगाबाद जिला।
5.	अधीक्षक, जवाहरलाल नेहरु चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, भागलपुर।	–	भागलपुर एवं मुंगेर प्रमंडल।
6.	अधीक्षक, दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, लहेरियासराय, दरभंगा।	–	दरभंगा प्रमंडल।
7.	अधीक्षक, श्रीकृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, मुजफ्फरपुर।	–	तिरहुत प्रमंडल के वैशाली, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी एवं शिवहर जिला तथा सारण प्रमंडल।
8.	अधीक्षक, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, पूर्णियाँ।	–	पूणियाँ प्रमंडल।
9.	अधीक्षक, जननायक कर्पूरी ठाकुर चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, मधेपुरा।	–	कोशी प्रमंडल।
10.	अधीक्षक, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, बेतिया (पश्चिम चम्पारण)	–	तिरहुत प्रमंडल के पूर्वी चम्पारण एवं पश्चिमी चम्पारण जिला।

4. उक्त चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों में रोगों से संबंधित विभाग अनुपलब्ध होने की स्थिति में चिकित्सा व्यय विपत्रों की अनुमान्यता एवं शुद्धता की जाँच अधीक्षक, पटना चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, पटना के द्वारा किया जायेगा।

5. स्वास्थ्य विभाग उक्त प्रक्रिया में किसी भी प्रकार के परिवर्त्तन/संशोधन करने के लिए प्राधिकृत होंगे।

6. उक्त सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों के अधीक्षकों की अध्यक्षता में त्रिसदस्यीय समिति का गठन किया जायेगा। उक्त समिति में औषधि विभाग एवं शल्य चिकित्सा विभाग के विभागाध्यक्ष सदस्य के रुप में रहेंगे। आवश्यकतानुसार अधीक्षक चाहे तो अन्य विभागाध्यक्ष को विशेष आमंत्रित सदस्य के रुप में नामित कर सकते है। त्रिसदस्यीय समिति द्वारा सप्ताह में दो बार बैठक कर विपत्रों की अनुमान्यता एवं शुद्धता की जाँच/प्रतिहस्ताक्षरित कर संबंधित सरकारी सेवक के प्रशासी विभाग को लौटायेंगे।

7. पूर्व निर्गत स्वास्थ्य विभागीय संकल्प संख्या– 946(14), दिनांक– 19.08.2015, परिपत्र संख्या– 997(14), दिनांक– 28.08.2015 एवं संकल्प संख्या– 1462(14), दिनांक– 16.08.2021 इस हद तक संशोधित समझे जायेगे।

8. यह संकल्प निर्गतं होने की तिथि से प्रभावी माना जायेगा।

आदेश : आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में सर्वसाधारण के जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–

(शशांक शेखर सिन्हा)

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक –14/विविध– 05/2021 1450(14) **/स्वा०, पटना, दिनांक–** 27/06/2024

प्रतिलिपि– प्रभारी पदाधिकारी, ई0गजट, वित्त विभाग, बिहार/अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय एवं प्रेस, गुलजारबाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– महालेखाकार (ले0एवं ह0), बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सभी जिला, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– मुख्य सचिव, बिहार, पटना/ मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सभी विभाग, बिहार, पटना/सचिव, बिहार विधान परिषद्/बिहार विधान सभा/निबंधक, उच्च न्यायालय, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिलाधिकारी, बिहार/सभी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवायें, बिहार, पटना/सभी अधीक्षक, मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, बिहार/सभी प्राचार्य, मेडिकल कॉलेज, बिहार/सभी क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाऐं, बिहार/सभी सिविल सर्जन, बिहार/स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, नई दिल्ली/सभी निदेशक, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाइ हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को मंत्रिपरिषद् की दिनांक– 20.06.2024 की बैठक के मद संख्या–11 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

24/6/24

सरकार के विशेष सचिव।

D:/Awadh SEC-14/Sanlekh/Medical rebursement power deligation final 2024